न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 53/2016

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पुष्पा पत्नि बाबुलाल जाति माली निवासी मालियो का बड़ा बास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)		1. नत्थुराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी मालियों का वड़ा वास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 2. चनणाराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी मस्तान बाबा की दरगाह के पास, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 3. मृतक हिम्मता पुत्र किसना के वारिसानः— 3/1 कोजाराम पुत्र हिमताराम जाति माली निवासी डिप्टी ऑफिस के सामने, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 4 मृतक मूला पुत्र नत्था के वारिसान 4/1 मृतक पोकरराम पुत्र मूला के वारिसान 4/1/1 भवरलाल पुत्र पोकरराम 4/1/2 रामचन्द्र पुत्र पोकरराम जातियान माली निवासीगण बेरा निम्बड़ीया, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 5 मृतक मगा पुत्र बगता के वारिसान 5/1 मांगीलाल पुत्र मगाराम जाति माली निवासी मालियों का बड़ा बास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 6 हरिकिशन टाक पुत्र रावतराम जाति माली रामासनी बाला रोड़, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 7 मृतक धूला पुत्र दीपा के वारिसान 7/1 मृतक लालू धूला के वारिसान 7/1/1 मीठालाल पुत्र लालू जाति माली निवासी बेरा कमेड़ा बाग जाने के रास्ते पर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) मृतक पुखराज पुत्र धूला के वारिसान 7/2 मृतक फाऊलाल गोद पुत्र पुखाराम जाति माली निवासी कमेड़ा बाग जाने के रास्ते पर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 7/2/1 नत्थकी पत्नि फाऊलाल 7/2/2 भंवरलाल पुत्र फाऊलाल

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

7/2/3 तथा पुत्री भाकरलाल पत्नि कन्नाराम जाति माली निवासी बेरा रतिया, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति:-</u>

1. श्री महेन्द्र चौधरी अभिभाषक मय वादीया स्वयं उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे, श्री दिलीप चौधरी व श्री श्याम गेहलोत अभिभाषकगण मय प्रतिवादीगण उपस्थित।

<u>-: निर्णय :-</u> दिनांक 13.12.2017

अभिभाषक वादिया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खा0नं0 1970/1, 1971, 1972, 1973/1, 1975/1, 1976, 1977 कुल किता खसरा 07 रकबा 1.3600 है0 लगान 18.48 रूपये है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में चन्नाराम पुत्र पुनाराम का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित था। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 चन्नाराम ने अपने 1/5 हिस्से में से 2/5 हिस्सा को जरिये बेचान रजिस्ट्री वादीनी को बेचान कर वादग्रस्त कृषि भूमि में कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादीनी ने चन्नाराम के 1/5 हिस्से का 2/5 हिस्सा को दिनांक 13/05/2015 को जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तब से वादीया अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बरान के नये खा0सं0 250/3 है, जो खसरा मिलान से साबित है, नये खा0सं0 250/3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार हिम्ता पुत्र किसना हिस्सा एक, पुलिया पुत्र जेठा हिस्सा दो, चुना पुत्र दीपा हिस्सा एक, पुना पुत्र नाथा हिस्सा एक माली सहखातेदार अनुसार दर्ज चला आ रहा था। पुलिया पुत्र जेठा वादीया के प्रिंसिपल विक्रेता चन्नाराम के पिता थे तथा पुनाराम का वादग्रस्त कृषि भूमि में दो हिस्सा था यानि संपूर्ण आराजीयात में 2/5 हिस्सा बनता है। पुनाराम के दो पुत्र चन्नाराम एवं नाथाराम होने से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा चन्नाराम ने अपने 1/5 हिस्सा का 2/5 हिस्सा बेचान वादीया को किया जिसमें वादीया का संपूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में 2/25 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। जिस अनुसार वादीया का नामान्तरकरण दर्ज किया गया। लेकिन वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हिस्सा खुला हुआ नही होने से वादीया का तामलाती हिस्सा दर्ज किया गया है। वादीया रेकर्डेड खातेदार है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक तौर से काबिज काश्त चली आ रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि की मौके पर सभी खातेदारान के बीच बटवारा किया हुआ है तथा अलग अलग काबिज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज नहीं होने से मौके पर धोरा, नाको एवं सीमाओ को लेकर खातेदारान के बीच विवाद होता रहता है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का

Scanned by CamScanner

हिस्सा दर्ज नही होने से एवं संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादीया को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच धोरा, पाली एवं माठो को लेकर विवाद होता रहता है। वादीया अपनी कृषि भूमि का सही सीमाकंन भी नही करवा सकती है। जिससे वादीया अपने जायज हक एवं अधिकारों से मेहरूम होना पड़ रहा है। वादीया ने प्रतिवादीगण को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादीया को आश्वासन दिया कि "वादस्थ कृषि भूमि मृतको का फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवा कर वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवा लेगे लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा न तो मृतकों का फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करवाया जा रहा हैं और न ही बंटवाड़ा करवा रहे है।" दिनांक 05.05.2016 को वादीया ने प्रतिवादीगण को नामान्तरण दर्ज करवाने एवं वादस्थ आराजीयात का बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा उल्टा वादीया को कहा कि वादस्थ कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बेदखल कर देगे तथा बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर दिया। प्रतिवादीगण वादीया को वादस्थ भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर देने से वादीया के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा। इसलिये यह वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि के जमाबंदी में हिस्सा दर्ज नही होने से वादीया द्वारा खरीद किया गया 2/25 हिस्सा को अलग से घोषित करवा कर अलग से खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारीणी है। इसलिये वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है। बिनायदावा दि0 05.05.2016 को प्रतिवादीगण वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर देने एवं वादीया के कब्जा काश्त में दखलान्दाजी करने एवं मेहरूम करने की धमकिया देने से बमुकाम सोजत हुआ जो यह वाद अन्दर म्याद पेश किया है। इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादिया का उक्त विवादित भूमि में 2/25 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त का होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर अलग से कब्जा सुपुर्द कर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने लगान अलग से मुकर्रर कर वादिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 स्वयं अथवा नौकर चाकर आदि को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 सं0 1, 2, 3/1, 5 व 6 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनॉक 04.11.2016 को की गई। प्रतिवादीगण सं0 4/1/2 को जारी नोटिस लेने से इन्कार होने पर खुले आबाद मकान पर जरिए चस्पानगी तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व भी दिनांक 14.02.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 7/1/1, 7/2/1, 7/2/2 एवं 7/2/3 की ओर से दिनॉक 04.11.2016 को तथा प्रति0 4/1/1 के अधिवक्ता ने दिनॉक 10.01.2017 को ज0दा0 पृथक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

पृथक पेश कर ज0दा0 में वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा काउन्टर वाद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रति0 के हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति व्यक्त कर ईश्तदुआ की है।

प्रतिवादीगण 7/1/1 , 7/2/1, 7/2/2 एवं 7/2/3 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत प्रथम के ख0नं0 1970/1 रकबा 0.0900 है0 ,ख0नं 1971 रकबा 0.2000 है0, ख0नं0 1972 रकबा 0.1300 है0, ख0नं0 1973/1 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 1976 रकबा 0.1100 है0, ख0नं0 1977 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 07 रकबा 0.8600 है0 स्थित है। वादस्थ कृषि भूमि में चनणाराम पुत्र गुलाराम का 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त का था। चनणाराम ने 1/5 हिस्से में से 2/5 हिस्सा वादीनी को बेचान किया है, जो सही है। राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान के अनुसार उक्त वर्तमान ख0नं0 के गत ख0नं0 250/3 है, जिसके खातेदार हिम्मता पुत्र किसना एक हिस्सा, गुला पुत्र जेठा दो हिस्सा, धूला पुत्र दीपा एक हिस्सा, मूला पुत्र नत्था एक हिस्सा माली सहखातेदारान दर्ज चला आ रहा था। गुलाराम के दो पुत्र चनणाराम व नत्थाराम है, गुलाराम का 2/5 हिस्सा कब्जा काश्त का था, इसलिए चनणाराम व नत्थाराम प्रत्येक का 1/5, 1/5 हुआ जो सही है। प्रतिवादी मीठालाल एवं भंवरलाल के पूर्वज धूला पुत्र दीपा थे, धूला पुत्र दीपा का वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हक हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का था। धूला के दो पुत्र लालु व पुखराज थे। प्रतिवादी मीठालाल, लालु का पुत्र है। पुखराज के कोई वारिसान नही होने से अपने भाई लालु के पुत्र फाउलाल को गोद लिया था। फाउलाल के वारिसान नत्थकी पत्नी फाउलाल, भंवनलाल व उषा पुत्र व पुत्री है। वादस्थ कृषि भूमि में लालु का 1/10 हक हिस्सा हुआ। लालु के एक पुत्र कानाराम थं, जिन्होने अपना 1/20 वा हिस्सा मगाराम पुत्र बगता जो प्रतिवादी संख्या 5/1 मांगीलाल के पिता थे, उनको बेचान कर दिया था, इसलिए वादस्थ कृषि भूमि में प्रतिवादी मीठालाल का वादस्थ कृषि भूमि में 1/20 वा हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का हुआ। फाउलाल, पुखराज के गोद चले जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 7/2/1 से 7/2/3 का 1/10 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का हुआ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हिस्सा खुला हुआ नही है। लेकिन उक्त मौके पे हिस्से अनुसार सभी अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है तथा अलग अलग काबिज काश्त है, शेष तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादस्थ कृषि भूमि का रेकर्ड में हिस्सा दर्ज नही है तथा संयुक्त रूप से नाम दर्ज है। यह सही है कि हिस्सा दर्ज नही होने से भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है तथा सीमांकन करने में भी परेशानी आ रही है। प्रतिवादी अपना हक हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने के लिए तैयार है। प्रतिवादी वादिया को बंटवाड़ा करवाने से कभी इन्कार नही किया है। वादस्थ कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 7/1/1 का 1/20 वा हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7/2/1 से 7/2/3 का 1/10 वा हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 का 1/20 वा हिससा खातेदारी कब्जा काश्त का है। वादिया का संपूर्ण वादस्थ कृषि भूमि में 2/25 वा हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 3/25 व हिस्सा तथा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

संख्या 01 का 1/5 वा हिस्सा बनता है प्रतिवादी ने नामान्तरकरण दर्ज कराने से कभी इन्कार नही किया है। प्रतिवादी अपने हक हिस्से का बंटवाड़ा करवाने को तैयार है। दि0 05.05.2016 को कोई बिनायदावा उत्पन्न नही होता है प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से कभी इंकार नही किया। वाद पत्र के पद संख्या 6, 7, 8 को कानूनी अंकित कर निवेदन किया कि वादीया का वादस्थ कृषि भूमि में 2/25 हक हिस्सा है, जो सही है किन्तु वादीया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। उक्त प्रतिवादीगण ने काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 7/1/1 मीठालाल का 1/20 वां हक हिस्सा खातेदारी का तथा प्रतिवादी संख्या 7/2/1 से 7/2/3 का वादस्थ कृषि भूमि में 1/10 हक हिस्सा कब्जा काश्त का है। प्रतिवादी के पूर्वज धूला पुत्र दीपा थे। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज चला आ रहा है। धूला के पुत्र लालु एवं पुखराज थे। धुला का वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। इसलिये वादस्थ कृषि भूमि में लालु का 1/10 हिस्सा एवं पुखराज का 1/10 हिससा हक हकूक है। पुखराज के कोई वारिसान अपने भाई लालु के पुत्र फाउलाल को गोद लिय था। इसलिये फाउलाल का 1/10 हक हिस्सा हुआ। प्रतिवादी सं0 7/2/1 से 7/2/3 फाउलाल के विधिक वारिसान होने से वादस्थ कृषि भूमि में 1/10 हक हिस्सा है। लालु के पुत्र कानाराम ने अपना 1/20 हिस्सा मगा पुत्र बगा को बेचान कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 7/1/1 का वादस्थ कृषि भूमि में 1/20 हक हिस्सा हुआ। उक्त हिस्सानुसार प्रतिवादी वादस्थ कृषि भूमि में काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 7 के वारिसान का उक्त हिस्सानुसार वादस्थ कृषि भूमि में काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवादी अपने हक हिस्सेनुसार वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाना चाहते है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पेश करने से बिनायदावा विरूद्व वादी उत्पन्न हुआ। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होने से यह काउण्टर वाद पेश कर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर वाद स्वीकार किये जाने एवं विवदित भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जावे तथा लगान अलग–अलग करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 4/1/1 भॅवरलाल ने ज0दा0 पेश कर सरहद मौजा–सोजत प्रथम में ख0नं0 1970/1, 1971, 1972, 1973/1, 1976, 1977, 1175/1 कुल किता 7 का रकबा 0.8600 हैक्टर स्थित होना अंकित किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रति0 सं0 4 मूला का 1/5 हक हिस्सा में मृतक पोकरराम के दो पुत्र भॅवरलाल व रामचन्द्र का 1/5 का 1/2 अर्थात 1/10–1/10 हक हिस्सा है जिस पर मौके पर अलग–अलग हिस्से पर काबिज है। राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान अनुसार इन वर्तमान ख0नं0 के गत ख0नं0 250/3 है, जिसके खातेदार हिमता, गुला, धूला, मूला का एक–एक हिस्सा आता था। मूला पुत्र नाथा के मात्र एक पुत्र पोकर का स्वर्गवास हो चुका है। पोकर के 2 पुत्र भॅवरलाल व रामचन्द्र है, 1/5 हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है। मूला पुत्र नाथा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

का 1/5 हक हिस्सा होने से प्रति0 सं0 4/1/1 का 1/5 का 1/2 यानि 1/10 हक हिस्सा खातेदारी कब्जेकाश्त का है। मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है अलग–अलग काबिज है। उक्त विवादित कृषि भूमि का रेकर्ड में हिस्सा दर्ज नही है व सयुक्त नाम दर्ज है जिससे भारी परेशानी होना व सीमाकंन में परेशानी आ रही है। उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 4/1/1 भँवरलाल का 1/10 हक हिस्सा काउण्टर वाद में अंकित किया है, पर उनके खातेदारी व कब्जे काश्त का है। प्रति0 के पूर्वज मूला पुत्र नाथा की फौतेदगी पर नामान्तरकण दर्ज नहीं होने से नाम दर्ज चला आ रहा है, जिसका 1/5 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जेकाश्त का है। प्रति0 सं0 4/1/1 का उक्त भूमि के 1/10 हिस्से पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस प्रकार ज0दा0 एंव काउन्टर वाद पेश कर वादी का वाद व प्रतिवादी का काउन्टर वाद स्वीकार किये जाने तथा विवादित उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग अलग किये जाने राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद तथा तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता वादिया ने दिनॉक 10.09.2017 को प्रा0 पत्र अन्तगर्त आदेश 12 नियम 1 व 6 सी0पी0सी0 के तहत पेश कर वादिया का उक्त वादस्थ आराजी का 2/25 हिस्सा (जरिए पंजीबद्व दस्तावेज दिनॉक 13.04.2015 क्रय किये जाने से) की भूमि अलग करने, राजस्व रेकर्ड में जरिए घोषणा दर्ज किये जाने तथा अधिवक्ता मय उपस्थित प्रति0 ने उक्त 2/25 हिस्से का वादिया का होना स्वीकार कर काउन्टर वाद में अपने–अपने हिससे की भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ/स्वीकारोक्ति होने वादिया का वाद तथा काउन्टर वाद प्रति0 स्वीकार कर वाद डिकी किये जाने एंव बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने एवं बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वकुलाय सुनी गई। वाद–पत्र, ज0दा0 उभयपक्षो, पंजीबद्व दस्तावेजात एवं राजस्व रिकोर्ड तथा काउन्टर वाद उभयपक्ष का गहनता से अध्ययन कर प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 1 व 6 सी0पी0सी0 मय प्रावधानो का भी अध्ययन कर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः वादीया का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादिया को 2/25 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादिया के साथ साथ प्रति0 को राजस्व रिकोर्ड अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाना उचित समझते हुए वादिया का वाद प्राथमिक रूप से दिनॉक 25.09.2017 को स्वीकार किया गया। प्राथमिक डिकी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर गई कि सरहद मौजा– सोजत चक प्रथम मे स्थित ख0नं0 1970/1 रकबा 0.0900 है0 ,ख0नं 1971 रकबा 0.2000 है0, ख0नं0 1972 रकबा 0.1300 है0, ख0नं0 1973/1 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 1976 रकबा 0.1100 है0, 1975/1 रकबा 0.1500 हैक्टर एवं ख0नं0 1977 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 07 रकबा 0.8600 है0 मेहन्दी व गै0मु0 रास्ता की भूमि में वादीया को 2/25 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया का भूमि के साथ साथ प्रतिवादीगण की भूमि का माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जावें तथा नजरी नक्शा बनाया जावें एवं मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

नेखमबन्दी व पत्थरगढी करवाई जावें। तहसीलदार सोजत को इस हेतु अधिकृत किया गया। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर प्रा0 डिक्री की प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी गयी । जिसकी पालना अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार सोजत को पत्रांक/कोर्ट/17/1040 दिनॉक 16.10.2017 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहा गया। तहसीलदार सोजत ने उक्त आदेश की पालना में उनके पत्रांक/राजस्व/17/4207 दि0 06.11.2017 द्वारा पालना प्रस्तुत की जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई व समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीया ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। मात्र अधिवक्ता प्रति0 सं0 4/1/1 भँवरलाल ने दिनॉक 11.12.2017 को प्रा0पत्र प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नक्शे के सम्बन्ध में आपति दर्ज करवाकर तहसीलदार सोजत से पुनः प्रतिवादी सं0 4/1/1 के हक हिस्से व कब्जे अनुसार रिपोर्ट मंगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। उक्त प्रा0पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस में अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि प्रतिवादी सं0 4/1/1 के दादा मूला पुत्र नत्था का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। चूँकि वर्तमान में उक्त प्रतिवादी स्वयं खातेदार दर्ज नही होने से सर्वप्रथम प्रतिवादी के पिता पोकर तथा तत्पश्चात स्वयं का नाम विरासत के आधार पर खातेदार बतौर दर्ज किये जाने पर ही प्रति0 बंटवाड़ा करवा सकता है, जिसके लिए प्रतिवादी, विरासत के नामान्तरकरण करवावें। फलस्वरूप वादी की भूमि का माफिक बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पक्षकारानों में किये जाने एवं उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, ज0दा0 एवं काउन्टर वाद, दस्तावेजात, राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत्–2070–73, तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रति0 सं0 4/1/1 द्वारा प्रस्तुत आपति प्रा0पत्र प्रति0 स्वयं खातेदार नहीं होने से काबिल खारिज है, लिहाजा खारिज किया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तथा अन्य अधिवक्ता मय प्रति0 को कोई आपति न होने से वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा/विभाजन किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक प्रथम तहसील सोजत मे स्थित खसरा नम्बर 1970/1, 1971, 1972, 1973, 1975/1, 1976 व 1977 कुल किता 7 रकबा 0.8600 हैक्टर लगान 18.48 रूपये में से वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner